₹5

अन्तर्गत,

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

मुजफ्फरपुर।

परिवाद–पत्र संख्या– 1307 /2020

नाम परिवादी :– तमन्ना हाशमी (सामाजिक कार्यकर्ता) उम्र 36 वर्ष

[redacted]

बनाम

नाम अभियुक्तगण :– 1. स्वामी रामदेव (पतंजली विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक)

2. आचार्य बालकृष्ण (चेयरमैन पतंजली संस्थान)

घटना स्थल :– परिवादी का घर ग्राम–भिखनपुर, थाना– अहियापुर, जिला–मुजफ्फरपुर।

घटना तिथि :– दिनांक–24.06.2020 समय 07.00 बजे सुबह।

जूर्म दफा :– 420, 120बी, 270, 504/34 भा0द0वि0।

थाना इतलाय :– हुआ परन्तु न्यायालय में मुकदमा करने को कहा।

नाम गवाहान :– 1. प्रवेज अहमद पिता–स्व0 अली इमाम

2. इफ्तिखार अहमद पिता–जफर आलम

दोनों ग्राम–भिखनपुर, थाना–अहियापुर,

जिला–मुजफ्फरपुर।

कैफियत :–

खुलासा नालिस यह है कि परिवादी एक सामाजिक कार्यकर्ता है तथा सामाजिक सरोकार से संबंध रखता है। कि दिनांक–24.06.2020 को अभियुक्त सं0–1 एवं 2 ने कोरोना वायरस नामक बीमारी से बचने के लिए एक दवा क्रोनिल टैबलेट को इजाद किया है। जिससे भारत सरकार सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाते हुए इस दवा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। आयुष मंत्रालय ने कुछ है कि अभियुक्तगण द्वारा आयुष मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं दिया है। अभियुक्तगण साजिशन षड्यंत्र के तहत आयुष मंत्रालय सहित पूरे देश को धोखा देने का काम किया है। सभी अभियुक्तगण जान–बूझकर घातक नुकसानदेह कदम उठाया है जिससे लाखों लोगों के जान पर भविष्य में खतरा हो सकता है।

फेल मुदालहुम सरासरं नाजायज वो मुजरीवाना है बतलब सम्मन कर सजा फरमाया जाय।

Tamanna Hashmi

Tamanna Hashmi

Advocate

24/6/20